

FORM No. 111

फॉर्म अहकाम
(नियम 28)

अदालत- उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा मुकाम-- भीलवाडा जिला भीलवाडा

उनवान

रिजिस्ट्रेशन

बनाम

TDR 342

मा मुकदमा

136

वादपत्र / प्रा0प0

मु0नं0

356/2024

पेशी	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम व/ तारीख में जारी हुए
21/8/24	<p>बाद जांच बाद / प्रार्थना पत्र / ईजराय / अपील पेश हुयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीयपक्ष को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 24/7/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Ahmad</i> उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा</p>	
24/7/24	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 25/4/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>A</i> आदेश से</p>	
25/9/24	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 18/12/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>A</i> आदेश से</p>	
18-12-24	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 10-1-25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>A</i> आदेश से</p>	
10-1-25	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 07-2-25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>A</i> आदेश से</p>	

नांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तम्बार व तारीख
अदालत की इस
हुकम की तारीख
में जारी है।

27/6/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साविक आदेश दिनांक 27/8/25 को पेश हो।

3
आज्ञा से रीडर

07/8/25 पत्रावली पेश हुई। पार्सी अदालत उपासित तहसीलदार श्रीलवाड़ा के रिपोर्ट प्राप्त नहीं। प्रकरण तहसीलदार श्रीलवाड़ा से इन्जाल रिपोर्ट के दिनांक 26/8/25 को पेश हो।
Amur

26/8/25 पत्रावली पेश। पत्रावली खासि कठिब के रिपोर्ट 21/8/25 को पेश की।
[Signature]

08/9/25 पत्रावली पेश। पार्सी अदालत उपासित। पैरोनगर अदालत उपासित। तहसीलदार श्रीलवाड़ा के पत्रांत 30/9 दिनांक 01.09.25 से पुनः प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रकरण में कतल सुनी गई। पार्सी का पार्सी पत्र इन्तर्गत धारा 136 PRC लागू किया जाता है। निष्पत्ति पृथक से सिखाया जाकर बाद उस्तादर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निष्पत्ति संलग्न है। प्रकरण कतल सुना खेतर कब से कत किया जावे।
[Signature]

उपखण्ड अधिकारी एवं
गवर्न सहायक कलेक्टर
श्रीलवाड़ा